164/2016
जिला कलेक्टर

अपील सूचना अधिकार संख्या 164/2016 अनवानी श्री विजयकुमार जैन एडवोकेट, 14ई ब्लाक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

05–12.–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री विजयकुमार जैन एडवोकेट उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 20.09.2016 के द्वारा चाही गई सूचनाएं लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 20.09.2016 के द्वारा एन ब्लाक श्रीगंगानगर में श्री कुन्दनलाल ज्योतिषी पुत्र पण्डित लालूराम को जिला कलक्टर (राजस्व) श्रीगंगानगर के आवंटन आदेश संख्या 1793 of dated 13-03-1956 द्वारा आवंटित प्लाट साईज 100′ इन्टू 60′ वर्गफुट के संबंध में 14 बिन्दुओ की सूचना चाही है। अपीलार्थी के आवेदन पत्र एवं अपील पत्र से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड के संबंध में प्रश्नात्मक रूप में जानकारियां चाही है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(च) के अनुसार सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो और चाही गई सूचनाएं प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए और सूचनाएं लोकहित की होनी चाहिए। सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना खोजकर भी सूचना उपलब्ध करवाने का कोई प्रावधान नही है और न ही सूचना का अधिकार अधिनियम में अपीलार्थी अपनी कोई परिवेदना का समाधान करवा सकता है और न ही किसी लोक सेवक को किसी कार्य को विशिष्ट तरीके से करने अथवा न करने के लिए निदेशित किया जा सकता है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर को अपना प्रार्थना पत्र पेश किया था जो उनके द्वारा नगरपरिषद, श्रीगंगानगर को पत्र सं0 2034 दिनांक 28.09.2016 द्वारा भेजा हुआ है किन्तु नगर परिषद, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को कोई सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। अपीलार्थी ने सुनवाई के दौरान आवंटन आदेश संख्या 1743 दिनांक 13.03.56 की फोटो प्रति पेश की है जिसके अनुसार जिला कलक्टर कार्यालय से ही कुन्दनलाल को प्लाट 100′ इन्टू 60′ वर्गफुट का दिनांक 13.03.1956 को आवंटन हुआ है। अपीलार्थी के सूचना का अधिकार आवेदन पत्र के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उसके द्वारा डी.एल.बी. के पत्रो के आधार पर भी सूचना चाही है। अपीलार्थी उक्त भूखण्ड के संबंध में ही सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ही जानकारी चाहता है। इसलिए इस प्रकरण को लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उक्त प्लाट से संबंधित सूचनाएं जिस प्रकार से कार्यालय अभिलेख में निश्चित अभिलेख के रूप में उपलब्ध हो। अगर चाही गई सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित है तो सूचना का अधिकार के अन्तर्गत उसे भी सुना जाकर नियमानुसार ही सूचना उपलब्ध करवाई जावे और आयुक्त, नगर परिषद, श्रीगंगानगर को भी आदेश दिया जाता है कि वे अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र के अनुसार चाही गई सूचनाएं जो उनके कार्यालय में उपलब्ध है उसे भी उक्तानुसार नियमानुसार उपलब्ध करवावे। नगरपरिषद के उत्तर की असन्तुष्टी के विरूद्ध अपीलार्थी नगरपरिषद, श्रीगंगानगर के अपील अधिकारी को ही अपील कर सकेगा।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

164/2016

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर व आयुक्त, नगर परिषद श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 05.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानाराम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर